

राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु./2005-06/ 47

Recd 6/07/05  
दिनांक 4-7-05 R.C. Sharma

कुल सचिव  
राजस्थान विश्वविद्यालय  
जयपुर

विषय:- निजी महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय,

मण्डावा कालेज, मण्डावा झुंझुनूको वर्ष 1997 में आदेश क्रमांक प2(20)शिक्षा-4/97 दिनांक 3.8.97 द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था । राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अब अकादमिक सत्र 2005-06 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :-

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजीसी अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करनी होगी ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें (Infrastructural facilities) उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर यूजीसी/ राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगी । शर्तों की पालना न करने या उनका उल्लंघन करने पर प्रदत्त एन.ओ.सी. को आहरित (Withdraw) भी किया जा सकता है ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी ।
8. संस्था को अकादमिक स्टैण्डर्ड बनाये रखने हेतु प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करने का दायित्व स्वयं का होगा ।
9. आपको दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।

भवदीय,

*(एस.एल.ओ.सी.)*  
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा0 मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिज्ञा कलक्टर, झुंझुनू
8. अध्यक्ष/सचिव/मण्डावा कालेज, मण्डावा झुंझुनू
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
11. रक्षित पत्रावली ।

*(एस.एल.ओ.सी.)*  
4/7/05

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)  
कालेज शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर ।




राजस्थान सरकार  
**आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ 4 (418)/आकाशि/नि0सं0/1997/1948 दिनांक:- 22-03-2024  
कुलसचिव,  
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,  
झुन्झुनू राज्य राजमार्ग,  
कटराथल,  
जिला सीकर।  
332024

विषय:- मण्डावा कॉलेज, मण्डावा जिला झुन्झुनू के एनओसी प्रकरण के संबंध में।  
संदर्भ:- संस्था द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 2023-24/6212 दिनांक 16.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि संस्था मण्डावा कॉलेज, मण्डावा, जिला झुन्झुनू के विज्ञान संकाय की एनओसी का प्रकरण विभाग में प्रकियाधीन है।

  
आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर